



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124657

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 22914 वर्ष 2026

दलसिंगार प्रजापति

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	यशवंत सिंह
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 35

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान आवेदन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/एफटीसी, आजमगढ़ के न्यायालय द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 08.12.2023 और गैर-जमानती वारंट दिनांक 16.03.2026 के साथ-साथ मामला अपराध संख्या 156 वर्ष 2023 (राज्य बनाम दलसिंगार प्रजापति), अंतर्गत धारा 419, 420, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- पवई, जिला आजमगढ़ की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने संज्ञान/समन आदेश को विधिपूर्वक इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 10 एससीसी 690 में प्रतिवेदित मामले में स्थापित कानून की प्रतिपादना के अनुसार धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ लागू नहीं की जा सकती। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है:-

“38. हमारी राय में, शिकायत को सीधे पढ़ने से उपर्युक्त किसी भी तत्व का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। पुलिस और अवर न्यायालयों के मन में कानून की एक गंभीर गलत धारणा को दूर करने के उद्देश्य से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि शिकायतकर्ता का यह दावा है कि अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के अंतर्गत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दंडनीय है, तो उसी क्षण यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में परिभाषित और स्पष्ट किए गए धोखाधड़ी के अपराध को भी कारित किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय है।

41. मात्र अनुबंध उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात एवं धोखाधड़ी के अपराध के बीच अंतर सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन देते समय अभियुक्त के आशय की जांच की जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र मापदंड नहीं है। मात्र अनुबंध उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही, यानी अपराध घटित होने के समय से ही, कपटपूर्ण या बेईमान आशय प्रदर्शित न हो। इसलिए, यही आशय अपराध का मूल तत्व है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी में अंतर है। धोखाधड़ी के मामले में, झूठा या भ्रामक अभिकथन देते समय, यानी शुरुआत से ही, आपराधिक आशय होना आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात में, केवल सौंपे जाने का प्रमाण ही पर्याप्त होता है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को वैध रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी व्यक्ति को

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धोखा देकर उससे कोई संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और भिन्न हैं। एक ही परिस्थिति में ये दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते। वे एक दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि एक दूसरे के बिना अस्तित्व में न रह सकें।”

4. चूँकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क कानूनी मुद्दे पर आधारित हैं, प्रतिपक्षी संख्या 2 को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे पहले से तय कानूनी प्रतिपादना पर जैसा कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, विवाद करने में असमर्थ हैं।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए निर्णय का अवलोकन करने के बाद, यह सुस्पष्ट है कि धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता को एक ही अर्थ में नहीं लिया जा सकता है और इस तरह, मामला अपराध संख्या 156 वर्ष 2023 (राज्य बनाम दलसिंगार प्रजापति) अंतर्गत धारा 419, 420, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- पवई, जिला आजमगढ़, में पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 08.12.2023 और गैर-जमानती वारंट दिनांक 16.03.2026, को रद्द किया जाता है। मामले को एतद्वारा संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि यदि आवश्यक हो, तो दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि-प्रतिपादना के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने के लिए नया आदेश पारित किया जा सके।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2 जून, 2026

एस.के.एस.

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।